

W.B. & SIKKIM GDC'S KOLKATA ROUTINE ORDER NO. 15/37-G-11 DATED 30. 09.2022

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडीसी, कोलकाता के नेमी आदेश सं. 15/37-G-11 दिनांक 30.09.2022

1. अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति (AD-HOC PROMOTION TO THE POST OF SUPERINTENDING SURVEYOR)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षक को पूर्णत: तदर्थ आधार पर पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के पे लेवल 11 (पूर्व संशोधित वेतन बैड -3 रु 15,600-39,100 ग्रड बेतन रु. 6,600/-) में पदोन्नति की गयी।

The competent authority has approved the promotion of following Officer Surveyors to the post of Superintending Surveyors in level 11 of Pay Matrix (pre-revised in PB-03 of Rs. 15,600 – 39,100 + GP of Rs. 6,600) purely on Ad-hoc basis for a period of one year from the date of assuming the charge or retirement whichever is earlier and until further orders:-

CITC CI	iai ge oi ie	en chierre winch	ever is carrier and arter	rancine o	<u> </u>
क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	जिस पद पर पदोन्नति की जाती	वेतन मैट्रिक्स	लागू होने की
Sl.No.	Name	Present Post	है	में लेवल	तिथि
			Post to which promoted	Level in Pay Matrix	Date of effect
1.	श्री रतन दे	अधिकारी सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक (तदर्थ)	लेवल 11	21.09.2022 (अपरान्ह)
	सरकार Shri Ratan Dey Sarkar	Officer Surveyor	Superintending Surveyor (Ad-hoc)	Level 11	(A/N)
2.	श्री अरुण कुमार दास	अधिकारी सर्वेक्षक Officer Surveyor	अधीक्षक सर्वेक्षक (तदर्थ) Superintending Surveyor	लेवल 11 Level 11	21.09.2022 (अपरान्ह)

Shri Arun	(Ad-hoc)	(A/N)
Kumar Das		

(प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-6156/853-एस एस दिनाक 20/21 सितम्बर 2022 Authority: SG's letter No. C-6156/853-SS dated 20/21 September 2022)

- ii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नही है।
- Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against them.
- iii) उपरोक्त अधिकारी सर्वेक्षक की तदर्थ पदोन्नति भारत के सहासर्वेक्षक के पत्रांक सी-6156/853-एस एस दिनाक 20/21 सितम्बर 2022 के पैरा (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

The ad-hoc promotion of the officer Surveyors will be subjected to the conditions mentioned in para (2) of SG,s letter No. C-6156/853-SS dated 20/21 September 2022. iv) तदर्थ पदोन्नति पर अधिकारियों का वेतन प्रचलित नियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । On Ad-

hoc promotion the pay of Officers may please be fixed as per rule in vogue.

v) अतिरिक्त संनिहित व्यय वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा |

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2022-2023 and debited to the appropriate Head of Account.

2. <u>सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति</u> PROMOTION TO THE POST OF ASSISTANT ON REGULAR BASIS

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 12.09.2022 के पत्र सं. सी-6049/1354(सहायक/एच.सी.) के अनुसार निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिक (ग्रुप'सी' मिनिस्टीरियल पद) को सहायक (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित मिनिस्टीरियल पद) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में उनके नाम के सम्मुख वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

As per S.G. Letter No. सी-6049/1354(सहायक/एच.सी.) dated 12.09-2022 the undermentioned Upper Division Clerk (Gr. 'C' Ministerial Post) is hereby promoted to the post of Assistant (Gr. 'B' Non-Gazetted Ministerial Post) on regular basis in the level 6 of Pay Matrix with effect from the date shown against the name below:-

क्रम नाम ए	खं पदनाम	जिस पद पर	वेतन मैट्रिक	लागू होने की	प्राधिकार
I VI I	ame & ignation	पदोन्नति की जाती	स में लेवल Level in	तिथि Date of	Authority
No.		है Post to which promoted	Pay Matrix		

Snri Monoj Assistant Level 6 6049/1354 (सहायक/ एच.र Mondal दिनांक 12-09-22	1	I	सहायक ojAssistant	लेवल 6 Level 6	13.09.2022	भारत के महासर्वेक्षक का पर 6049/1354 (सहायक/	•
---	---	---	----------------------	--------------------------	------------	---	---

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नही है |

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against him

iii) सम्बंधित सरकारी कर्मचारी को एफ.आर. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन मैट्रिक्स के नए लेवल में उनका वेतन नियतन किया जाएगा।

The concerned government servant is required to exercise an option under FR (22)(I)(a)(1) on that basis Head of Office will fix his pay in new level of Pay Matrix.

iv. इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय पश्चिम बंगाल व सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from the allotted budget grant for the Financial Year 2022-23 of WB & Sikkim GDC, Kolkata and debited to the appropriate Head of Account.

3. एम 0 ए 0 सी0 पी0 योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन

THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MODIFIED ASSURED CARRIER PROGRESSION SCHEME- IMPLEMENTATION OF

विज्ञान और प्राधोगिकी विभाग के पत्र सं०ए-11019/1/2008-सी.डी.एन दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संखा-35034/3/2008-स्था(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी0 डी0 सी0, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता मे कार्यरत ग्रुप 'सी' (पूर्व ग्रुप 'डी') में निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल — 4 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया :-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 35034/3/2008-Esst. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the following Group 'C' (erstwhile Group 'D') employee posted in West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Kolkata is hereby granted **THIRD** Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme in the **Level -4** of pay matrix of Central Govt. civilian employee from the date mentioned against his name as under :-

क्म सं. SI.No	नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. के देय तिथि Date from which MACP granted	प्राधिकार Authority
------------------	-------------------------------------	--	------------------------

1.	श्री रोहित कुमार मल्लिक, एम.टी.एस	26.08.2021	महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी- 4975/1902/
	Shri Rohit Kumar Mallick, MTS	तृतीय (Third)	एम.ए.सी.पी (ग्रुप 'डी') दिनांक 09.09.2022

ii) एम.ए.सी.पी. से लाभन्वित कर्मी FR 22(I) (a) (1) के प्रावधान के अनुसार विकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं तदनुसार कार्यालय अध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगे |

The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii. प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नही है

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against him.

iv) इस मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2022-2023 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2022-2023 and debited to the appropriate Head of Account.

4. एम.टी.एस. के पद पर अनंतिम आधार पर नियुक्ति PROVISIONAL APPOINTMENT TO THE POST OF MULTI-TASKING STAFF (M.T.S.)

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए विवरणानुसार दिनांक 28.02.2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो एम.टी.एस.के पद पर वेतन लेवल-1 (18000-56900) में अनंतिम आधार पर अस्थाई रूप से अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय संवर्ग में नियुक्त किया गया। ये सभी कर्मचारी दिनांक 20-26 मई 2018 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक) के भाग-।। - खण्ड 3 - उप खण्ड(i) में प्रकाशित दिनांक 21 मई 2018 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बहुकार्य कर्मचारी वृन्द(समूह 'ग') भर्ती नियम, 2018 में वर्णित नियम एवं शर्तों से शासित होंगे।

The following employee nominated by the Staff Selection Commission has been appointed as M.T.S. of Non-Ministerial Cadre in Pay Level-1 (18,000-56,900) on Temporary basis till 28.02.2023 or further order, whichever is earlier. The employee will be governed with the terms & condition mentioned in Ministry of Science & Technology, Department of Science & Technology, Survey of India, Group 'C' Multi-Tasking Staff (Group 'C'), Recruitment Rules, 2018 dated 21 May, 2018 published in the

PART II-Section 3-Sub-section (i) of Weekly Gazette of India dated May 20-May 26 of 2018.

क्रम	नाम	जन्म-तिथि	समुदाय	नियुक्ति की	शैक्षणिक योग	टिप्पणी
सं.				तिथि	यता	
	श्री संजय कुमार पिता श्री बलबीर सिंह Shri Sanjay Kumar S/o Shri Balbir Singh	20-07- 1993	SC	12-09-22	12 th	

(प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. स्था.3-217/1011 एम.टी.एस दिनांक 31 जुलाई 2022)

ii. इनका स्वास्थ्य परीक्षण सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा करा लिया गया है एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उन्हें सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया है।

He has been medically examined by Medical Officer and declared fit for government service by the Competent Authority.

iii. इनके चरित्र एवं पूर्ववृत्तसत्यापन हेतु सक्षम प्राधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर नियुक्ति रद्ध कर दी जायेगी।

Letters regarding verification report on Character & Antecedents have been sent to the Competent Authority. The appointment will be cancelled if, any adverse remarks received from the Competent Authority.

iv. सम्बंधित कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी से प्रतिकृल टिपुपणी प्रापृत होने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

The caste certificate of the concerned employees will be verified by the competent authority. The appointment will be cancelled if, any adverse remarks received from the Competent Authority.

v. इस मद पर होने वाला व्यय पश्चिम बंगाल व सिक्किम भ्-स्थानिक आंकडा केन्द्र, कोलकाता के लिए वर्ष

2022-23 के आवंटित बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

The expenditure involved in his appointment will be met from the allotted budget grant for the Financial Year 2022-23 of WB & Sikkim GDC, Kolkata and debited to the appropriate Head of Account.

5. तकनीकि त्याग पत्र/TECHNICAL RESIGNATION

निम्नलिखित कर्मचारियों का तकनीकी त्याग पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर उनके सेवा कर्तव्य से कार्यमुक्त कर दिए गए।

The following staff of this GDC has been relieved of their duties after acceptance their Technical Resignation by competent authority.

क्रम	नाम एवं पदनाम	दिनांक	नया स्थान पर	प्राधिकार
सं.				
	Shri Abhishek Kumar, MTS S/o Shri Manoj Prasad		State Govt.	इस कार्यालय का पत्र सं. ई/ए- 1052 /18-A-11 दिनांक 02- 09-2022

S/o Shri Muni Lal Yadav 22(A/N) State 1059 /18-A-11 दिनांक 02-	02	Shri Prince Sagar, MTS S/o Shri Muni Lal Yadav		State	
--	----	---	--	-------	--

उदय शंकर प्रसाद / Uday Shanker Prasad)

निदेशक /

Director

पश्चिम बंगाल एब सिक्किम जीडीसी,

कोलकाता

W.B. & Sikkim GDC,

Kolkata

वितरण:

- 1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित
- 3. वेबसाईट एडिमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 4. प्रभारी लेखा
- 5. फाईल- सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
- 6. नोटिस बोर्ड।